ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-5* August-2020
Anthology : The Research

मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का संक्षिप्त विवेचन

Brief Consideration of Mauryan Administrative System

Paper Submission: 14/08/2020, Date of Acceptance: 26/08/2020, Date of Publication: 27/08/2020

अर्चना सिंह
प्रवक्ता,
डी0एल0एड0 विभाग,
पंचशील पी0जी0 कॉलेज
इटौरा बुजुर्ग, रायबरेली,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जिस आदर्श की पराकाष्ठा को स्थापित किया वह प्राचीन भारतीय इतिहास की अनूठी उपलब्धि रही है संपूर्ण आर्यावर्त में अपने वर्चस्व का परचम लहराकर विखण्डित भारत को अखण्डित स्वरुप प्रदान किया। विजित प्रदेशों के साथ–साथ साम्राज्य के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक सशक्त प्रशासन तंत्र की स्थापना की जिसका श्रेय महान विद्वान कौटिल्य को है। प्रशासन की सभी इकाईयां चाहे प्रांत, नगर, या ग्राम सभी पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। सत्ता का केन्द्रीकरण हो गया था। राजा को असीमित अधिकारों की प्राप्ति हो गयी थी। जिससे हम सैधान्तिक रुप से राजा को निरंकुश मान सकते है परन्तु कौटिल्य ने जिस प्रकार के कर्तव्यों के निर्वहन की प्रतिबद्धता सम्राट के लिए निश्चित किया था वह राजा के व्यवहारिक निरंकुशता को निषिद्ध करता है।

राजस्व व्यवस्था का बहुत ही उत्तम उदाहरण मौर्यों ने प्रस्तुत किया है। भूमि कर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। राजस्व संग्रह को बड़ी ही कुशलता के साथ समायोजित किया गया था। जिससे प्रजा को कर देने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो मौर्यो की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुकरण परवर्ती शासको ने भी किया और आधुनिक युग में भी इस प्रशासनिक व्यवस्था के लक्षण परिलच्छित होते है। वस्तुतः यह एक महान ऐतिहासिक उपलब्धी रही है।

The ideal that he established in the Mauryan era of administrative system has been a unique achievement of ancient Indian history, and by waving the glory of his supremacy throughout the Aryavarta, he gave a fragmented form to a divided India. To establish control over the conquered territories as well as all the territories of the empire, he established a strong governance system, owing to the great scholar Kautilya. The emperor had direct control over all units of administration, whether province, city, or village. Centralization of power was done. The king had got unlimited rights. From which we can theoretically consider the king as autocratic, but the kind of duties Kautilya had committed to the emperor, prohibits the monarch's practical autocracy.

The Mauryas have presented a very good example of revenue system. 1/6 of the land tax yield was taken. Revenue collection was adjusted with great efficiency. So that there is no problem in paying taxes to the people, the administrative system of Mauryo was followed by the later rulers and even in the modern era, the characteristics of this administrative system are reflected. In fact, it has been a great historical achievement.

मुख्य शब्द : समाहर्ता, सन्निधाता, प्रणय, हिरण्य, सीता, राजस्व, कोषागार, चतुरंग्रणि, उपधा, कंटकशोधन, धर्मस्थीय।
Collectors, Sannidhata, Pranay, Hiranya, Sita, Revenue, Treasury, Chaturangani, Upadha, Kankashodhan, Dharmastha

प्रस्तावना

भारत वर्ष ने सर्वप्रथम रानीतिक एकता, अखण्डता भारत का जो दर्षन किया है। उसका श्रेय मौर्य सम्राट चन्द्र गुप्त मौर्य को जाता है। चन्द्र गुप्त मौर्य ने दिग्विजयी चक्रवती, अजेय अवधारणा को व्यहारिक जीवन में सार्थक कर दिया उसने अपने पराक्रम से और चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ महामंत्री की सहायता से बिखरे भारत को राजनीतिक एकीकरण का स्वरूप प्रदान कर एक राजा और एक राज्य की महत्ता को सिद्ध कर दिया। जिससे एक कुषल प्रशासनिक व्यवस्था

की नींव पड़ी और जिसकी प्रतिछाया आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था पर भी परिलक्षित होती है।

स्त्रोत

कौटिल्य का "अर्थ शास्त्र" मेगस्थनींज की इण्डिका अशोक के शिला लेख व रूद्रदाम का गिरनार शिलालेख बौद्ध ग्रन्थों व यूनानी रचनाओं से मौर्य शासन प्रणाली का विशद ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इन ग्रन्थों के आधार पर ही हम उसकी शासन व्यवस्था व उसके स्वरूप की रूप–रेखा से परिचित होते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

प्राचीन भारतीय इतिहास की पृष्ठ भूमि पर प्रथम ऐतिहासिक, सम्राज्य की स्थापना का दर्शन। व इसके माध्यम से हमें प्रशासनिक व्यवस्था के उस आर्दश कों देखने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है जिसमें सम्राट से लेकर प्रान्त जिला व ग्राम जैसी स्थानीय इकाईयों को किस सामंज्यस के साथ संतुलन की की स्थिति को बनाते हुए प्रशासन किया गया है। हमें राजस्व व्यवस्था का जो रूप मौर्य सम्राज्य में परिलक्षित होता है। वह अपने में अनूठा है कि विशाल साम्राज्य को संचालित करने के लिए किस प्रकार से अर्थ उपार्जन किया जाए। और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जिसका अनुकरण आज भी प्रशासनिक कार्यो में किया जा रहा है

प्रशासनिक व्यवस्था की रुप–रेखा

सम्राट

यही से हमें प्रमाणिक व प्रथम राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली का दर्शन देखने को मिलता है। कौटिल्य ने जहाँ राज्य के सप्तांग सिद्धान्तों में राजा का स्थान उच्च माना है। इसकी स्थिति को कूट स्थनीय माना है। (तत् कूट स्थानियों हि स्वामी इति) उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। परन्तु राजा की व्यवहारिक निरंकुशता को स्वीकार नहीं किया गया है। राजा व प्रजा के मध्य सम्बन्धों को स्वीकार करते हुए उसके प्रजा के प्रति कर्तव्यों को अर्थशाास्त्र में निम्न रूपों में व्यक्त किया गया है कि राजा को, प्रजा की शिकायतों को सुनने के लिए सदैव सुलभ रहना चाहिए तथा प्रजा से प्रतिक्षा नहीं करवानी चाहिए। वह स्पष्ट करता है कि जिस राजा का दर्शन प्रजा के लिए दुर्लभ हैं, उसके अधिकारी प्रजा के कामों को अव्यवस्थित कर देता है जिससे राजा प्रजा के कोप का भाजन बनता है या शत्रुओं का शिकार होता है।

दुर्दषों हि राजा कार्या कार्य
विपर्था समासन्नैः कार्यते।
तेन प्रकृति कोपमरिवंष वा गच्छेत।
अर्थशास्त्र 1./9

मन्त्री परिषद

वर्तमान शासन प्रणाली की ही भाँति मौर्य काल में भी शासन व्यवस्था को व्यविस्थत स्वरूप प्रदान करने कि लिए मंत्री, व मंत्री परिषद की स्थापना की गयी थी। सम्राट अपने राजकीय कार्यों के संचालन में अमात्यों, मंत्री व मंत्री परिषदों की सहायता लेता था दैनिक प्रशासन में राजा को मन्त्रणा व परामर्श हेतु 3 या 4 सदस्यों की संख्या वाले मंत्रिणः होते थे। इनके सदस्य वृहद्मंत्री परिषद के सदस्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे जो सम्भवतः आधुनिक कैबनेट मंत्री के समकक्ष समझे जा सकते हैं। और इनका वेतन 48000 पण वार्षिक होता था।

इसके अतिरिक्त वृहद् मंत्री परिषद की भी स्थापना की गयी थी। और

इन मंत्रियों के चुनाव के सम्बन्ध में अर्थ शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "जो सभी प्रकार के प्रलोभनों से परे होते थे राजा उन्हीं को मंन्त्री बनाता था" सर्वोपधा शुद्धान मंत्रिणः कुर्यात् इस प्रकार हमें यह स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि वर्तमान शासन प्रणाली में जिस प्रकार से मंत्रियों को नियुक्ति का प्रावधान है उसका आधार प्राचीन भरतीय इतिहास में सदियों पूर्व निश्चित कर दिया गया था

केन्द्रिय प्रषासन

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में चन्द्रगुप्त मौर्य के केन्द्रिय प्रशासनिक व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। शासन व्यवस्था को सुंविधानुसार कई विभागों में विभक्त किया गया है और विभागों के तीर्थ की संज्ञा दी गयी है। अर्थशास्त्र में 18 प्रमुख तीर्थों का उल्लेख किया गया है। इनमें महत्वपूर्ण पदाधिकारी, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, सन्धिाता इत्यादि थे। समाहर्ता के कार्य राजस्व एकत्र करना वार्षिक बजट रिपोर्ट बनाना था। एक प्रकार से आधुनिक वित मंत्री के समकक्ष था। और सन्निधाता कोषाध्यक्ष था। मौर्य प्रशासन की आधार शिला को बहुत ही सुनियोजित, सुव्यवस्थित तरीके से सुसज्जित किया गया था ताकि इतने वृहद स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। बाद में परवर्ती राजवंशों ने भी इसी प्रकार की शासन प्रणाली का अनुकरण किया है।

प्रान्तीय शासन

इतने बड़े साम्राज्य की शासन व्यवस्था को अनवरत गति से गतिमान रखने के उद्देश्य से मौर्य साम्राज्य को प्रान्तों में विभक्त किया गया था चन्द्रगुप्त के समय के प्रान्तों की संख्या का ज्ञान नहीं हो पाया हौ परन्तुं महान सम्राट अशोक के समय में मौर्य सम्राज्य पाँच प्रान्तों में विभक्त था।

1. उत्तरापथ (उदीच्य):– पश्चिमोत्तर प्रदेश इसके प्रमुख भाग थे और राजधानी तक्षशिला थी।
2. अवन्तिः– इसकी राजधानी उज्जयिनी थी।
3. कलिंगः– यहाँ की राजधानी तोसल थी।
4. दक्षिणा पथः– दक्षिण भारतीय प्रदेश सम्मिलित थे। राजधानी स्वर्ण गिरी थी।
5. प्राच्य या प्रासीः– पूर्वी भारत। राजधानी पाटिलपुत्र।

प्रान्तों का शासन राजवंश के ही कुमार या युवराजो द्वारा संचालित किया जाता था। वे उन प्रान्तों में आधुनिक गर्वनरों की भाँति कार्य करते थे।

रोमिला थापर

जी का सुक्षाव है कि प्रान्तीय मंत्री परिषद केन्द्रीय मंत्री परिषद की अपेक्षा अघिक स्वतन्त्र थी।

मण्डल, जिला, नगर प्रशासन

आधुनिक कमिशनरियों की ही भाँति मौर्य कालीन प्रान्तों का विभाजन मण्डलों में किया गया था। मण्डल के प्रधान प्रमुख को अर्थशास्त्र में प्रदेष्टा कहा गया है। और

अशोक के अभिलेखों में इसे प्रादेशिक बताया गया है। मण्डल का विभाजन जिलों में हुआ था। जिन्हें आहार या विषय कहते थे। और जिलों के नीचें ग्रामों का विभाजन स्थानीय नाम से किया गया था। ग्राम शासन की सबसे छोटी व अन्तिम इकाई थी।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र व मैगस्थनीज के इण्डिका से नगर प्रशासन पर विशेष प्रकाश पड़ता है। मेगस्थनीज के अनुसार नगर के शासन का प्रबंध 30 सदस्यों की मंडल समिति करती थी। मंडल 6 समितियों में बँटा था। प्रत्येक समिमि में 5 सदस्य हुआ करते थे।

प्रथम समिति

उधोगों व शिल्पों का निरीक्षण का प्रभार निर्वहन करती थी।

द्वितीय समिति

विदेशों से आवा–गमन सम्बन्धीं कार्यो पर निगरानी करती थी।

तृतीय समिति

जन्म–मरण ब्यौरा, अर्थात जनगणना सम्बन्धी कार्यो को देखती थी।

चतुर्थ समिति

व्यापार व वाणिज्य सम्बन्धी कार्ये का निरीक्षण करती थी।

पाँचवी समिति

निर्मित वस्तुओं के विक्रय पर निरीक्षण।

छठी समिति

विक्रय कर वसूली थी। जो विक्री मुल्य का 1/10 होता था। उपरोक्त विवरणों का अध्ययनोपरान्त हमारे सामने यह तथ्य स्पष्ट होता है कि पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की ही भाँति अन्य नगरों का प्रशासन भी इसी तरह संचालित होता होगा। मेगस्थनीज ने नगर के पदाधिकारियों केा एस्टिनोमोई (Astynomoi) कहता है।

न्यायिक व्यवस्था

न्याय व दण्ड व्यवस्था के पहलू पर अध्ययन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट होता है कि यहाँ पर राजा को ही सर्वोच्य न्यायाधीश का अधिकार प्राप्त था। जो कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रदान किये गये निर्णयों को रद्द कर सकता था। उस समय के न्यायलयो को दो रूपो में विभक्त किया गया है।

(1).धर्मस्थीय और **2. कंटकशोधन।** इन दोनों को हम दीवानी और फौजदारी न्यायालय के रूप में समझ सकते हैं।

धर्मस्थीय न्यायालय में व्यक्ति और उससे सम्बन्धित मुकदमों की पैरवी की जाती थी। जबकि कंटकशोधन न्यायालय में व्यक्ति व राज्य के मध्य उठे विवादो का निपटारा किया जाता था। मौर्यो की न्याय व्यवस्था अत्यन्त ही व्यवहारिक व निष्पक्ष होती थी किसी भी प्रकर का पक्षपात अन्याय की बात नहीं की जाती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायधीश वादों का निपटारा धर्मशास्त्र, व्यवहार लोक परम्परा और राज्य शासन के नियमों के अनुकूल करतें थे।

धर्मष्च व्यवहारष्च चरित्रं राजषासनम्
विवादार्थष्चतुष्पादः पष्चिमः पूर्व वाधकः।।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि कानून का आधार न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र इत्यादि थे शारीरिक दण्ड व मृत्यु दण्ड का प्रावधान था। दण्ड विधान का स्वरूप कठोरतम होने से अपराधों की संख्या में गिरावट थी।

गुप्तचर व्यवस्था

मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तचरों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। सम्पूर्ण साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था, जिनसे साम्राज्य की सम्पूर्ण गतिविधियों का ज्ञान सम्राट को प्राप्त होता था। इस विभाग को महामात्यसर्प नामक आमात्य के अधीन रखा गया था। अर्थशास्त्र में नौ प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया गया है। स्ट्रैबों ने इन्हें इन्सपेक्टर तथा एरियन ने ओबरसियर कहा है। गुप्तचरों को गूढ़ पुरूष भी कहा गया कौटिल्य ने निर्दिष्ट करते हुए अर्थशास्त्र में लिखा है कि "राजा को शत्रु मित्र मध्यम तथा उदासीन राजाओं व अट्ठारह तीर्थों की गतिविधियों पर दृष्टि रखने के लिए गुप्तचर होना चाहिए।" सामान्यतः दो प्रकार के गुप्तचर थे संचारी व संस्था।

संस्था

जो एक स्थान पर रह कर सुचनायें प्रदान करतें थे।

संचारी

जो निरन्तर भ्रमणशील होते थे और सूचनाएँ एकत्र करते थे।

सैन्य संगठन

किसी भी राष्ट्र, साम्राज्य की शक्ति सम्पन्नता का अन्दाजा उसकी सैन्य व्यवस्था, से लगाया जा सकता है। और मौर्य साम्राज्य ने अखण्ड भारत की स्थापना की थी और उसकी एकता अखण्डता को अक्षमुण बनाये रखन के लिए एक विशाल सैन्य व्यवस्था का भी गठन किया गया था प्लिनी के अनुंसार उसकी सेना में 60,000,00 पैदल 30,000 अश्वारोही ही तथा 9000 हस्ति थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चतुरंगिणी सेना का उल्लेख किया है–हस्ति बल, अश्वबल, रथबल, तथा पैदल थी मेगस्थनीज ने चन्द्रगुप्त की सेना के प्रबन्ध के लिए 30 सदस्यों की एक समिति का उल्लेख किया है जो पाँच–पाँच सदस्यों की छः उप समितियों में बँटी थी। सेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आधुनिक युग की भाँती सैनिको के अनुशासन व प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उन्हें युद्ध के विषिष्ट नियमों से भी अवगत कराया जाता था। भारत वर्ष में यह प्रथम प्रयास था जो अपने उत्कृष्टतम परिणिति को प्राप्त किया और चन्द्रगुप्त विशाल साम्राज्य की स्थापना व प्रशासन में सफल रहा।

राज्य की आय के स्त्रोत

इतने बड़े साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप संचालित करने के लिए अर्थ (धन) की आवश्यकता थी। और इसके लिए अनेक व्यवस्थायों का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है जिसमें सबसे मतहत्वपूर्ण थी।

भूमि व्यवस्था

राज्य की आय का प्रमुख स्त्रोत भूमि कर था। उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर को भाग कहा जाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। कृषि पशुपालन व व्यापार को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। भूमि से उत्पन्न सम्पूर्ण वस्तुओं पर कर लगाया जाता था इनमें से दो प्रमुख थे।

सेतु

फल कन्द–मूल व तरकारियों पर लगने वाला कर

वन कर

वन से प्राप्त लकड़ी, औषधियों पर कर।

बिक्री कर

किसी भी वस्तु के क्रय–विक्रय पर भी कर देना होता था। जिसे चुंगी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त विभिन्न नगरों से जो आय प्राप्त होती थी उसे दुर्ग कहा जाता था जिनमें आबकारी कर, नमक कर, शिल्पकार, इत्यादि।

जुर्माना या दण्ड

मौर्य साम्राज्य में जो अर्थ दण्ड व जुर्माने निर्धारित किये जाते थे उन्हें भी राजकीय आय के स्त्रोत में सम्मिलित किया जाता था।

राजस्व

प्राचीन भारत में राजस्व संग्रहण करने का इतना विषद्, व सुव्यवस्थित प्रणाली का दर्शन हमें मौर्यकाल से ही प्राप्त होता है राजस्व का सर्वोच्च पदाधिकारी समाहरता होता था, सन्निधाता राजकीय कोषागार व भण्डारगार का संरक्षक होता था। राजस्व वृद्धि के प्रमुख साधन दुर्ग राष्ट्र, खान, सेतु, वन, वाणिज्य थे। कौटिल्य के अनुसार ये आय शरीर थे। अभिलेखों के आधार पर अनाज के रूप में भी कर उगाहे जाते थे भूमि कर को बलि, भाग नामों से जाना जाता है। उद्रंग नाम से सिंचाई कर, प्रणय नाम से आपात कर, व हिरण्य नाम से नगद कर लेने की प्रथा का पता चलता है। कौटिल्य ने तीनों प्रकार के शुल्कों का उल्लेख किया है।

"वाह्य अभ्यान्तर तथा
आतिथ्य–षुल्क व्यवहारों बाह्यभ्यान्तर
चातिथ्यमः निष्क्राम्यं प्रवेष्यं च शुल्कम्।"

गिनकर, मापकर तथा तौलकर बिकने वाली वस्तुओं पर अलग–अलग मात्रा में कर लगायें जाते थे। इस प्रकार से लम्बी सूची जो हमें कर संग्रह की प्राप्ति होती है उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में खर्च किया जाता था जिनमें से राजस्व का एक विशिष्ट भाग सैन्य संगठन पर खर्च किया जाता था तद्परान्त लोक कल्याणकारी कार्यो पर भी व्यय किया जात था अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन भी इसी राजस्व से प्राप्त आय से दिया जाता था।

निष्कर्ष

उपरोक्त परिचर्चा के अध्यनोपरान्त हमे मौर्य शासन व्यवस्था की जो झलक देखने को मिलती है वह एक पुरी तरह से सुनियोजित व्यवस्थित थी। जिसमें चन्द्रगुप्त मौर्य सिद्धान्तः निरकुंश था। परन्तु व्यवहारगत रूप में वह मंत्रियों, पुरोहितों लोक परम्पराओं धर्मशास्त्रों के अनुरूप आचरण करके सदैव प्रजाहित के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इसके लिए उसने कई लोकोपकारी व प्रजाहित के लिए कई उपाय किए। यातायात की सुविधा के लिए विशाल राजमार्गों का निर्माण किया गया। पश्चिमी भारत में सिंचाई सुविधा के लिए चन्द्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस झील को मौर्यकाल की तकनिकी व्यवस्था का उत्कृष्टतम उदाहरण कह सकते हैं। जिसका विवरण हमें रूद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से भी प्राप्त होता है। उसके शासन का प्रमुख लक्ष्य प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था जिसका उसने बखूबी निर्वहन किया और यह तथ्य इन पंक्तियों के माध्यम से चरितार्थ होती है।

प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां चहिते हितम्।
नात्मप्रियं हित राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम।।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पंक्तिया कि "प्रजा के सुख से ही राजा भी सुखी रहता है, प्रजा के हित में ही राजा का भी हित निहित है। यदि प्रजा सुखी नहीं रहेगी तो राजा का हित नही हो सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *शर्मा, रामषरण प्रारम्भिक भारत का परिचय, हैदराबादः ओरियंट ब्लैक स्वान, 2004।*
2. *प्रसाद, डॉ0 ओम प्रकाष, संघाधिपति अषोक, दिल्ली : हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेषालय, 1999।*
3. *थापर, रोमिला, भारत का इतिहास, दिल्ली : राजकमल प्रकाषन, 1975।*
4. *झा, द्विजेन्द्र नारायण, श्रीमाली कृष्ण मोहन, प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली : हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेषालय, 2015।*
5. *श्रीवास्तव, के0सी0, प्राचीन भारत का इतिहास, इलाहाबाद : यूनाइटेड बुक डिपो 2010–11।*
6. *मुकर्जी, राधा कुमुद, चन्द्रगुप्त मौर्य एण्ड हिज टाइम्स, दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास 1966।*
7. *पाण्डेय, श्यामलाल कौटिल्य की राज्य व्यवस्था, लखनऊ 1975।*
8. *मिश्र योगेन्द्र मेगस्थनीज का भारत विवरण (द्वितीय संस्करण) पटना 1951।*